प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे प्रपत्र – 1

जिला – ______________ ब्लॉक का नाम – ______________ सीआरसी विद्यालय का नाम – ______________

ग्राम / वार्ड का नाम – ______________ सर्वे की दिनांक – ______________ विद्यालय का नाम जिसे उस ग्राम / वार्ड की जिम्मेदारी दी गयी है – ______________

पृष्ठ – 1

क्रम	ग्राम पंचायत / नगर पालिका / नगर परिषद / नगर निगम	गाँव / वार्ड	हैबिटेशन (रहवास)	बालक–बालिका नाम	पिता / अभिभावक / संरक्षक का नाम	माता का नाम	जन्म दिनांक	आयु	लिंग (M/F/T)	वर्ग (SC/ST/SBC/OBC/Gen./Min.)	प्रवेशित कक्षा
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

निरन्तर

प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे प्रपत्र – 1

आधार की स्थिति (हाँ / नहीं)	यदि हाँ तो आधार संख्या	शैक्षिक स्थिति			यदि अनामांकित / ड्रॉप आउट है तो कारण (परिशिष्ट–1 के अनुसार क्रमांक भरे)	विशेष ध्यान देने वाले परिवारों के बच्चे (परिशिष्ट–2 के अनुसार क्रमांक भरे)	विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (CWSN) परिशिष्ट–3 के अनुसार क्रमांक भरें।	निजी विद्यालय से आने वाले बच्चे (हाँ / नहीं)	यदि हां तो विद्यालय का नाम व पता	अभिभावक मो0नं0
		अनामांकित (1)	ड्रॉप आउट (2)	ड्रॉप आउट कक्षा						
M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W

(हस्ताक्षर)
संस्था प्रधान के हस्ताक्षर ____________
विद्यालय का नाम ____________
मोबाइल नं0 ____________

सीआरसी को जमा कराने की दिनांक ____________

(हस्ताक्षर)
सर्वेकर्ता शिक्षक का नाम एवं पद ____________
विद्यालय का नाम ____________
मोबाइल नं0 ____________

परिशिष्ट–1

क्रस	विवरण	कोड संख्या
1	परिवार की निम्न सामाजिक–आर्थिक स्थिति।	01
2	स्कूल में शैक्षिक सुविधाओं का अभाव।	02
3	बाल विवाह।	03
4	परिवार का प्रवास।	04
5	बच्चे का लगातार अनुपस्थित रहना।	05
6	अभिभावकों की शिक्षा के प्रति उदासीनता।	06
7	बच्चे की शैक्षिक स्थिति कक्षा स्तर से न्यून है।	07
8	बीमारी / स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं / कुपोषण।	08
9	कृषि से संबंधित पारिवारिक कार्यों में संलग्न।	09
10	गैर–कृषि संबंधित पारिवारिक कार्यों में संलग्न।	10
11	परिवार का समर्थन करने के लिए भुगतान किए गए कृषि श्रम कार्य में लगे हुए हैं	11
12	परिवार का समर्थन करने के लिए भुगतान किए गए ईंट भट्ठा / खनन कार्य में लगे हुए हैं	12
13	परिवार का समर्थन करने के लिए दुकान / होटल में भुगतान किए गए काम में लगे हुए हैं	13
14	परिवार का समर्थन करने के लिए भुगतान से संबंधित निर्माण कार्य (फैक्टरी) में लगे हुए हैं	14
15	भुगतान किए गए अन्य कार्यों में संलग्न ऊपर निर्दिष्ट नहीं हैं	15
16	विकलांगता और सीखने की बाधाएँ।	16
17	स्कूल का अधिक दूरी पर होना।	17
18	बीमार परिवार के सदस्य की देखभाल; माता–पिता / परिवार के सदस्य की मृत्यु	18
19	स्कूल में शारीरिक दंड, धमकाने, हिंसा / दुरुपयोग	19
20	सीखने–सिखाने की प्रक्रिया में कठिनाई	20
21	स्कूल में कोई महिला शिक्षक नहीं	21
22	विद्यालय में शौचालय और अन्य सुविधाओं की अनुपलब्धता	22
23	स्कूल बिना रैंप, सुलभ शौचालय और CWSN के लिए सुविधाओं का नहीं होना।	23
24	स्कूल में भेदभाव	24
25	सांस्कृतिक मानदंड – परिवार में बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक ना होगा।	25
26	घर के कामों में व्यस्त	26
27	भाई–बहनों की देखभाल करने में व्यस्त	27
28	COVID–19 के कारण ड्रॉपआउट।	28
29	कोई अन्य कारण निर्दिष्ट नहीं है।	29

परिशिष्ट–2

विशेष ध्यान देने वाले परिवारों के बच्चे

क्र.सं.	विवरण	कोड संख्या
1	खानाबदोश परिवारों के बच्चे	01
2	बाल श्रम	02
3	सफाईकर्मी के बच्चे	03
4	आश्रय / वयस्क संरक्षण के बिना बच्चे	04
5	कोविड–19 के कारण माता–पिता, संरक्षक आदि को खोने वाले बच्चें (कोई एक विकल्प) : 05(a) माता को खोने वाले बच्चे 05(b) पिता को खोने वाले बच्चे 05(c) माता एवं पिता दोनों को खोने वाले बच्चे 05(d) संरक्षक को खोने वाले बच्चे	05
6	अन्य	06
7	लागू नहीं	00

परिशिष्ट–3

विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (CWSN)

क्र.सं.	विकलांगता का प्रकार	कोड संख्या
1	दृष्टि दोष	1
2	श्रवण दोष	2
3	मानसिक विमन्दित	3
4	अस्थि दोष	4
5	अधिगम अक्षमता	5
6	बहु विकलांगता	6
7	सरेब्रल पालसी	7
8	अन्य	8
9	लागू नहीं	0

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा / माध्य / मा–द / 22492 / प्रवेशोत्सव / 2019–20 / 356 दिनांकः 10.09.2020

1. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा ।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) – माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा।
4. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा ।
5. समस्त पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी।

विषय :– प्रवासी श्रमिकों के बच्चों, अनामांकित व ड्राप आउट बच्चों के चिन्हीकरण एवं विद्यालय में नामांकन के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, का पत्रांकः रास्कूशिप / जय / वै.एवं औ.शि / 2020–21 / 14340 दिनांकः 27.08.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि कोविड–19 के कारण हुए लॉक डाउन की वजह से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौटे है और संभावना है कि वे अपने घरों पर अलग–अलग समयावधि तक रुके। इन प्रवासी मजदूरों के साथ उनका परिवार व बच्चे भी लौटे है, जिससे कि इन बच्चों की शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया बाधित हुई है और जब तक कि विशेष प्रयास नही किये जाते, ये शिक्षा की मुख्यधारा से बाहर रह जाएंगे। इसके कारण आपके क्षेत्र में दो अथवा कोई एक तरह की स्थितियां देखने को मिलेगी –

- एक परिस्थिति में विद्यालय में नामांकन कम होगा और ऐसे प्रवासी मजदूरों के बच्चे अनुपस्थित श्रेणी में आ जाएंगे।
- दूसरी परिस्थिति में स्कूल से बाहर के बच्चों की संख्या काफी बढ़ जाएगी और ऐसे बच्चों को विद्यालय में प्रवेश की आवश्यकता होगी।

उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रवासी श्रमिक माता–पिता के साथ अन्यत्र माइग्रेट करने वाले बालक–बालिकाओं का नियमित अध्ययन जारी करने के लिए निम्न निर्देशो की पालना सुनिश्चित करावें:–

1. उन बालक–बालिकाओं के सम्बन्ध में जो वर्तमान विद्यालय वाले स्थान से माता –पिता के साथ अन्यत्र प्रवास पर चले गए :–
   (अ) उनका नाम नामांकन पंजिका से हटाया नहीं जाए।
   (ब) ऐसे बालक–बालिकाओं का नाम नामांकन सूची में पृथक से लिखा जाकर, उसके समक्ष अस्थायी अनुपस्थित / कोविड–19 के कारण माईग्रेशन लिखा जाए।
   (स) हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित प्रवासी बालक–बालिकाओं की सूचना शालादर्पण पर उपलब्ध मॉड्यूल मे अपलोड की जाए।

2. उन बालक–बालिकाओं के सम्बन्ध में जो अपने प्रवासी श्रमिक माता–पिता के साथ आए है:–
   (अ) ऐसे बालक–बालिकाओं को देशभर में मान्य किसी भी प्रकार के पहचान पत्र के आधार पर तत्काल प्रभाव से स्कूलों मे प्रवेश दिया जाए।
   (ब) इनसे किसी भी प्रकार के अन्य दस्तावेजो की मांग नहीं की जाए जैसे पूर्व में अध्ययनतर कक्षा का प्रमाण, स्थानान्तरण प्रमाण इत्यादि। अभिभावकों द्वारा दी गई सूचना / शपथ पत्र को सत्य मानते हुए उसके आधार पर निकटतम राजकीय विद्यालय में सम्बन्धित कक्षा में बच्चे का तत्काल नामांकन किया जाए।
   (स) बोर्ड कक्षा (कक्षा 10 व 12) में प्रवेश लेने वाले बच्चों से शपथ पत्र ले लिया जाए कि वे बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन करते समय उपर्युक्त आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा देंगे, जिससे परीक्षा आवेदन हो सके।
   (द) ऐसे बालक–बालिकाओं की सूचना शालादर्पण पर अपलोड की जाए।

उपर्युक्तानुसार जो बालक–बालिकाएं प्रवासी श्रमिक माता–पिता के साथ अन्यत्र गए थे एवं पुनः पुराने स्थान पर (विद्यालय में) लौट आए है तथा वे बालक–बालिकाएं जिन्होंने अन्यत्र विद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया हैं उनकी जानकारी शाला दर्पण उपलब्ध मॉड्यूल में प्रविष्ट करावें, तथा यह भी सुनिश्चित करें कि प्रवासी श्रमिक माता–पिता के साथ जाने वाले तथा आने वाले किसी भी बालक / बालिका का अध्ययन बाधित ना हों।

(सौरभ स्वामी)
आइ.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर